बिहार सरकार

ग्रामीण विकास विभाग

पत्रांक 171023 पटना, दिनांक 10-12-2013

ग्रा0वि0-5/इं0आ0यो0(Mon)102-30/2013

प्रेषक,

अमृत लाल मीणा,
सरकार के सचिव ।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी,
सभी उप विकास आयुक्त ।

विषय -: इंदिरा आवास योजनान्तर्गत संविदा आधारित पदों पर नियोजन के संबंध में ।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि इंदिरा आवास योजनान्तर्गत प्रखण्ड एवं ग्राम पंचायत स्तर पर संविदा आधारित पदों पर नियोजन हेतु आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि समाप्त हो चुकी है । आप अवगत है कि अब इस web based application का link जिलों को दिया जायेगा जिससे वे अपने जिले से संबंधित वैध आवेदकों की श्रेणीवार सूची तथा आवेदन पत्र Download करेंगे । जिलान्तर्गत अनुमान्य पदों की संशोधित विवरणी विभागीय पत्र संख्या 168309 दिनांक 07.11.2013 द्वारा जिलों को प्रेषित की जा चुकी है ।

उक्त नियोजन की प्रक्रिया के क्रम मे कतिपय जिलों द्वारा पदों के रोस्टर क्लीयरेंस एवं नियोजन पत्र निर्गत करने हेतु सक्षम प्राधिकार के संबंध में पृच्छायें की जा रही है । इस संदर्भ में उल्लेखनीय है कि प्रसंगाधीन नियोजन हेतु निरूपित की गयी प्रक्रिया से संबंधित विभागीय संकल्प की कंडिका 11 में यह प्रावधान किया गया है कि संविदा पर नियोजित कार्मिक को हटानें का अधिकारी उप विकास आयुक्त का होगा । स्वभावत: नियोजन प्राधिकार ही नियोजित कर्मी को हटाने वाले प्राधिकार होते है । संविदा आधारित पद पर नियोजन प्रखण्ड एवं ग्राम पंचायत स्तर के लिए है तथा उप विकास आयुक्त के स्तर से नियोजन पत्र निर्गत होंगे । इन पदों के लिए रोस्टर क्लीयरेंस की कार्रवाई उप विकास आयुक्त के स्तर से प्रारंभ की जायेगी तथा इसका अनुमोदन जिला पदाधिकारी द्वारा किया जायेगा । इंदिरा आवास योजना जिस वर्ष स्वीकृत की जाती है उस समय प्रचलित इकाई लागत पर लाभार्थी को लाभ देय है ।

प्रसंगवस यह भी उल्लेखनीय है कि संविदा आधारित इस नियोजन में राज्य सरकार के द्वारा विकलागों के लिए निर्धारित आरक्षण का लाभ देय है और उम्र सीमा में भी दस वर्षों की छूट प्रदत है ।

कृपया तदनुसार कार्रवाई की जाय ।

विश्वासभाजन
9.12.13
(अमृत लाल मीणा)
सरकार के सचिव

D:\06-0m.k All in One\आवेदन हिन्दी\Application-737.docx